न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1907–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–1–2013 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 19/निगरानी /2010–11.

मोहम्मद मकसूद आ. स्व. नूर मो.
निवासी डा. अरूण जैन के सामने
पावर हाउस के पास चांदबड़ भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– मेहबूब आ. स्व. नूर मो.
निवासी मकान नं. 12 टोली
बाली मस्जिद हाथी खाना रोड
बुधवारा भोपाल

2– मो. जमीन आ. स्व. नूर मो.
निवासी पुलिस थाना के पास
मेन रोड अशोका गार्डन भोपाल

3– मो. सलीम आ. स्व. नूर मो.
निवासी मकान नं. 01
पीली बिल्डिंग चांदबड़
सेमरा रोड भोपाल

4– मो. नवीन आ. स्व. नूर मो.
निवासी मकान नं. 12 टोली
बाली मस्जिद हाथी खाना रोड
बुधवारा भोपाल .....अनावेदकगण

श्री आर0 एन0 मालदीव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हरगोविन्द शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री दिनेश चौहान, अभिभाषक अनावेदक कमांक 2 एवं 4
श्री आर0 एस0 चौधरी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 11 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 7–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 4 द्वारा नायब तहसीलदार वृत 2 हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कल्याणपुर स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 481, 480, 479, 478, 470, 471, 472, 466, 467, 468, 465, 460 एवं 473 कुल रकबा 12–00 एकड़ पर आवेदक वर्ष 1997 से कब्जाधारी होकर कृषि कार्य कर रहा है, अतः राजस्व रिकार्ड में उसका कब्जा दर्ज किया जाये । इसी प्रकार अनावेदक कमांक 1 द्वारा भी तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 396, 395, 393, 394, 392, 491, 495, 494, 389, 390, 493, 496 एवं 489 कुल रकबा 10–50 एकड़ पर वह वर्ष 1997 से कब्जाधारी होकर कृषि कार्य कर रहा है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में उसका कब्जा दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 22–23/अ–6–अ/2005–06 दर्ज किया जाकर दिनांक 7–10–2005 को आदेश पारित करते हुए उक्त आवेदन पत्र निरस्त किए गए । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–1–2006 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–3–2007 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई तथा उभय पक्ष को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए फौती नामांतरण एवं कब्जे की जांच कर प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर किए जाने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16–4–2008 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । तहसील न्यायालय को प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक

5/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व मण्डल ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी पक्षकारों की पात्रता पर विचार किया जाये, अतः तहसील न्यायालय को पुनर्विलोकन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस आधार पर कहा गया कि आयुक्त ने राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में जो निर्देश दिये हैं वह अपने स्थान पर उचित हैं । यह भी कहा गया कि आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा आयुक्त के आदेश में क्या अवैधानिकता है, नही बतलाई गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक संपत्ति है, और उक्त भूमि पर सभी का कब्जा है तथा सभी को मुआवजा भी प्राप्त हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष जांच होने पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाए गए तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में स्थिति इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 एवं 4 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर कब्जा लिखे जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए । उक्त आवेदन पत्रों को तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 7–10–2005 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–1–2006 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–3–2007 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए फौती नामांतरण एवं कब्जे की जांच कर प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किया जाये । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16–4–2008 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–3–2007 अंतिम रहा । प्रकरण तहसील न्यायालय में प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण प्रविष्टि कमांक 49 तथा प्रविष्टि कमांक 61 पर पारित आदेश दिनांक कमशः 28–3–1988 एवं 2–8–98 के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30–8–2011 द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं दी जाकर तहसील

20–6–2011 को नामांतरण पंजी क्रमांक 49 तथा प्रविष्टि क्रमांक 61 पारित आदेश दिनांक क्रमशः 28–3–1988 एवं 2–8–98 के पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला भोपाल को प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–8–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का प्रस्ताव अमान्य करते हुए पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं दी गई एवं यह निर्देश दिये गये कि पारिवारिक सम्पत्ति का विवाद होने से पक्षकार व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 7–1–2013 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर, प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वरिष्ठ न्यायालयों के निर्देशानुसार उभयपक्ष को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया करे । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत तहसील न्यायालय को कब्जा दर्ज करने का अधिकार नहीं है । यह भी कहा गया कि नामांतरण आदेश के विरूद्ध पूर्व से ही अपील लंबित है, अतः आयुक्त द्वारा नामांतरण की जांच के आदेश नहीं दिये जा सकते हैं, इसलिए आयुक्त का आदेश अवैधानिक आदेश है । तर्क में यह भी कहा गया कि कब्जा दर्ज करने के प्रकरण में नामांतरण की जांच नहीं हो सकती है । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा नामांतरण की जांच करने के आदेश देने से अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील निरर्थक हो जायेगी ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही आधार उठाया गया है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपील अथवा निगरानी प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालयों को जो भी निर्देश दिये जाते हैं, उनका पालन करना अधीनस्थ न्यायालयों पर बंधनकारी है, और इसी कारण आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

न्यायालय का प्रस्ताव अमान्य किया गया है। अतः इस संबंध में आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि जब वरिष्ठ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा नामांतरण पंजियों का विस्तृत परीक्षण कर साक्ष्य अंकित कर गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित करने के निर्देश तहसील न्यायालय को दिये गये हैं, और उक्त आदेश की पुष्टि राजस्व मण्डल द्वारा की गई है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से लेना महत्वहीन हो जाता है । उपरोक्त स्थिति पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना विचार किए पुनर्विलोकन की अनुमति निरस्त की जाकर यह निर्देश देने में गंभीर अवैधानिकता की गई है पारिवारिक संपत्ति का विवाद होने से अनावेदक कमांक 1 एवं 4 व्यवहार न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं । दर्शित परिस्थिति में आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयों के निर्देशानुसार उभय पक्ष को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने के आदेश देने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर